R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

297
अप्रैल
2004

बैंकिंग

जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग के लिए रियायतें

जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को अधिक मात्रा में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और निगरानी संबंधी तंत्र में उचित परिवर्तन करने की दृष्टि से, समय-समय पर घोषित रियायतों/छूटों से संबंधित स्थिति की समीक्षा की गयी है और छूटों /रियायतों के निम्नलिखित व्यापक पैकेज की सिफारिश की गई है जो जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्यरत बैंकों द्वारा तुरंत लागू किया जाना है। जम्मू और कश्मीर राज्य में ये नयी रियायतें/ऋण संबंधी छूटें जो आगामी एक वर्ष तक, अर्थात् 31 मार्च 2005 तक लागू रहेंगी, नीचे दर्शायी गयी हैं:

(i) बैंक प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर और अधिक कार्यशील पूंजी सुविधाएं मंजूर कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं को, पिछली मंजूरी के लिए स्वीकार किए गए मानदंडों के अधिकतम 50 प्रतिशत तक की रियायत गुण-दोष के आधार पर दी जा सकती है। ऐसे ऋणकर्ताओं को रियायती मानदंडों के लाभ यथासंभव यथार्थपरक रूप में दिये जायें। क्रय के संबंध में उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण के स्तर में परिवर्तन के विषय में बैंक सभी उधारकर्ताओं के मामले में यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाएँ।

(ii) संबंधित बैंक सभी ऋण खातों की समीक्षा तीन महीने के भीतर करे। ऋणकर्ता को आवश्यकता के आधार पर बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी सुविधाएं बिना किसी देरी के स्वीकृत करें भले ही तदर्थ सुविधाएं पहले स्वीकृत की गयी हों अथवा नहीं।

(iii) स्वीकृत हुंडियों (मीयादी बिलों) के आधार पर वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

(iv) प्रेषणों के लिए सेवा-प्रशुल्क में रियायतें दी जा सकती हैं। ऐसी रियायतें बाहरी केंद्रों के बिलों/चेकों की वसूली के मामले में भी दी जा सकती हैं।

(v) बैंक कश्मीरी प्रवासियों की छोटी राशि की, जैसे कि 10,000/- रुपये तक की सावधि जमा रसीदें, रसीद जारी करने वाली शाखा से ब्यौरों का सत्यापन किये बिना, जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ क्षतिपूर्ति बांड लेकर, निर्दिष्ट शाखाओं पर सकार सकते हैं।

(vi) नीचे बतायी गयी अन्य मौजूदा रियायतें भी जारी रहेंगी :

(क) मीयादी ऋणों के लिए बैंक, जहाँ तक ऋण-ईक्विटी अनुपात का संबंध है, विशेषकर छोटी परियोजनाओं के मामले में लचीला और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ। पात्र मामलों में चुकौती कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण की अनुमति भी दी जा सकती है।

(ख) बैंक सभी अनियमित खातों की समीक्षा, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाएं मंजूर करके, खातों को नियमित करने की संभावनाओं की दृष्टि से, तीन महीने के भीतर करें।

(ग) खरीदे गये बिलों की वसूली और वसूली के लिए अग्रिम बिलों की अवधि बढ़ाकर शाखा प्रबंधकों द्वारा एक महीने तक की जा सकती है।

(घ) उधार-खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए उदार स्वीकृति ऋण /साख पत्र सुविधाएं दी जा सकती हैं। बैंक गारंटियों और देशी साख पत्रों के लिए मार्जिन प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) घाटी में स्थित अपनी अन्य शाखाओं में रखे गये बैंक खातों/रखी गयी निधियों को घाटी से बाहर की नामित/विनिर्दिष्ट शाखा/शाखाओं में अंतरित करने की सुविधा उपलब्ध कराना, ग्राहकों के अनुरोध पर, आवश्यक सावधानियाँ बरतते हुए जारी रखा जाये, ताकि अनधिकृत आहरणों अथवा अंतरणों को प्रोत्साहन न मिले। इसी प्रकार बैंक घाटी में स्थित अपनी शाखाओं पर आहरित लिखतों को प्राप्त करने के लिए, घाटी से बाहर विशिष्ट शाखाओं को नामित करने की व्यवस्था भी करें।

बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऊपर बताये गये संशोधित पैकेज के संबंध में जम्मू और कश्मीर में कार्यरत अपनी शाखाओं को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर दिये जाते हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग के लिए रियायतें	1
अनिवासी जमा योजनाएं तर्कसंगत बनायी गयीं	2
ग्राहक सेवा	
ग्राहक सेवा	2
जाली नोट प्रस्तुत करने वालों को रसीद जारी करना	3
नीति	
प्रतिभूतिकरण कंपनियां एवं पुनर्निर्माण कंपनियां	3
प्रधान मंत्री रोजगार योजना - वर्ष 2004-2005 के लिए लक्ष्य	3
विदेशी मुद्रा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार - स्पष्टीकरण	3
भारत में आयातों के लिए कारोबारी ऋण	4
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अप तटीय बैंकिंग इकाइयां	4
विदेशी कम्पनियों के भारतीय कर्मचारियों द्वारा विदेशों में निकट संबंधियों के भरण पोषण के लिए प्रेषण	4

अन्य सामान्य उपाय और कार्रवाइयां

- बैंक इन उपायों के ब्यौरों और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्पोरेट कार्यनीतियों के संबंध में राज्य में स्थित अपनी शाखाओं के प्रबंधकों और नियंत्रणकर्ताओं को शिक्षित करने और सूचना देने के लिए विशेष उपाय करें।
- राज्य के प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक बैंकर-ग्राहक बैठक का आयोजन करें जिसमें राज्य सरकार के जिला स्तरीय उच्च अधिकारी भी आमंत्रित किये जायें।
- बैंकों को उक्त राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के सभी मामलों में विलम्ब से बचने के विशेष प्रयास करने चाहिए। स्थानीय और बाहरी - दोनों प्रकार के लिखतों की निकासी तत्परता से की जानी चाहिए। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रचलित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जानी चाहिए। इस संदर्भ में प्राधिकारों को आवश्यक रूप से सौंपने का कार्य भी शीघ्रता से किया जाना चाहिए।
- किसी भी छूट को अस्वीकृत करने का अधिकार संबंधित शाखा के स्तर से उच्चतर स्तर के प्राधिकारी को होना चाहिए।
- इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, प्रत्येक बैंक की कार्पोरेट निधि विनियोजन संबंधी नीति में शामिल होनी चाहिए ताकि राज्य के ऋणकर्ताओं को अधिक ऋण एक उचित अवधि के भीतर दिया जा सके ।
- रियायतों संबंधी पैकेज के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के तिमाही आंकड़े प्रस्तुत करना बैंकों की शाखाओं द्वारा नियंत्रण संबंधी विवरणियों के एक अंग के रूप में होना चाहिए ताकि कारगर निगरानी का काम सुविधाजनक ढंग से किया जा सके।

कार्यान्वयन और निगरानी संबंधी व्यवस्थाएँ

- पैकेज के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए यदि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों के अंचल कार्यालय स्तर पर पहले से विशेष कक्ष न बनाए गए हों तो ऐसे कक्ष बनाये जाने चाहिए। उक्त कक्षों को संबंधित बैंकों के लिए शिकायतों के निराकरण की एजेंसी के रूप में भी कार्य करना चाहिए। उक्त कक्ष अपने ऋण-प्रयोक्ताओं के साथ तिमाही बैठक भी करें जिसमें कार्पोरेट कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लें।
- राज्य स्तर पर, प्रमुख बैंकों, राज्य सरकार, व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों की एक समिति बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण करेगी और अन्य समस्याओं का समाधान करेगी। राज्य स्तरीय समिति पैकेज के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा भी, प्राप्त तिमाही आंकड़ों के आधार पर करेगी। राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक-बैंक उक्त समिति को सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करेगा। राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा रिपोर्टें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय कार्यालय को भेजी जायें।

अनिवासी जमा योजनाएं तर्कसंगत बनायी गयीं

मौजूदा अनिवासी जमा योजनाओं की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए:

एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा

यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना तक, एक वर्ष से तीन वर्ष के लिए ऐसी अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें, जिनके लिए करार 17 अप्रैल 2004 को भारत में कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हैं, तदनुरूपी अवधि समाप्ति की अमेरिकी डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निर्धारित तीन वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए ब्याज दर उस स्थिति में लागू होगी यदि परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक होती है। ब्याज दरों में ये परिवर्तन उनकी मौजूदा परिपक्वता समाप्ति के बाद नवीकृत की गयी एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होंगे।

अनिवासी भारतीयों को प्रस्तावित ब्याज दरों में एकरूपता बनी रहे, इस उद्देश्य से एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरों को 17 जुलाई 2003 से अमेरिकी डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से जोड़ा गया था। इन जमाराशियों पर ब्याज दरों को 17 जुलाई 2003 को तदनुरूपी परिपक्वता अवधि की लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 250 आधार अंक से घटाकर 15 सितंबर 2003 को तदनुरूपी परिपक्वता अवधि की लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 100 आधार अंक और बाद में 18 अक्तूबर 2003 को तदनुरूपी परिपक्वता अवधि की लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 25 आधार अंक कर दिया गया था।

एनआरई बचत जमाराशियों पर ब्याज दर

एनआरई जमाराशियों की विभिन्न श्रेणियों पर ब्याज दरों को एक सीध में लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एनआरई बचत जमाराशियों पर ब्याज दर को भी 17 अप्रैल 2004 से भारत में कारोबार की समाप्ति से लागू करते हुए लिबोर/स्वैप दरों से जोड़ दिया जाए। एनआरई बचत जमाराशियों पर ब्याज दरें अमेरिकी डॉलर जमाराशियों पर 6 माह की परिपक्वता अवधि के लिए लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। एनआरई बचत जमाराशियों पर ब्याज दर पिछली तिमाही के अंतिम कार्य-दिवस को अमेरिकी डॉलर की लिबोर/स्वैप दर के आधार पर तिमाही आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। अप्रैल-जून 2004 की तिमाही के लिए अमेरिकी डॉलर लिबोर/स्वैप दर मार्च 2004 के अंतिम कार्य-दिवस के अनुसार लागू होगी।

इससे पहले, एनआरई बचत जमाराशियों पर ब्याज दर घरेलू बचत जमा दर से जुड़ी हुई थी।

एनआरई बचत जमाराशियों पर अग्रिम

यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि एनआरई बचत जमाराशियों का खाताधारक किसी भी समय बचत जमाराशियां आहरित कर सकता है, बैंकों को इन जमाराशियों के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार का लियन अंकित नहीं करना चाहिए।

ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे जनता को उपलब्ध करायी जानेवाली सेवाओं के बारे में गठित कार्यविधि और कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा समिति (अध्यक्ष श्री एस. एस. तारापोर) की सिफारिशों को लागू करें। सिफारिशें इस प्रकार हैं:

चेक डालने के लिए बक्से की सुविधा

ग्राहकों को चेक डालने के लिए बक्से की सुविधा और नियमित संग्रहण काउंटरों पर चेक स्वीकार किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिये। काउंटर पर जमा किये गये चेकों की प्राप्ति-स्वीकृति अवश्य दी जानी चाहिये।

चेक बुक

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जमाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किये जाने पर जमाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को काउंटर पर चेक बुक दी जानी चाहिए।

समिति ने पाया था कि कुछ बैंक जमाकर्ताओं को शाखा से अपनी चेक बुक लेने ही नहीं देते, बल्कि इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संबंधित चेक बुक जमाकर्ता को कूरिअर द्वारा भेजी जाएगी। इसके अलावा जमाकर्ता को इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मज़बूर किया जाता है कि कूरियर द्वारा चेक बुक भेजे जाने से संबंधित जोखिम जमाकर्ता का है और इससे संबंधित कोई भी परिणाम जमाकर्ता को भुगतना होगा तथा इस प्रकार चेक बुक भेजे जाने के मामले में जमाकर्ता किसी भी रूप में बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरायेगा।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि यह कार्यविधि अनुचित है तथा बैंक जमाकर्ताओं से इस तरह का वचन पत्र प्राप्त करने की प्रथा बंद करें।

जमा विवरण/पास बुक

जमाकर्ताओं को असुविधाएं न होने देने की दृष्टि से बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे पास बुकों/जमा विवरणों में समाशोधन द्वारा या चेक द्वारा इस तरह की गूढ़ प्रविष्टियां न करें। बैंक यह सुनिश्चित करें कि पास बुकों/जमा विवरणों में

अनिवार्यत: इस प्रकार के विवरण दिये जाएं जो समझ में आयें। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि जमा विवरण भेजते समय वे निर्धारित मासिक अवधि का भी पालन करें।

समिति ने यह नोट किया था कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली और रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर के मामले में बैंक अनिवार्यत: कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराते जबकि ऐसे प्रेषण या संक्षिप्त विवरण प्राप्तकर्ता बैंक को उपलब्ध कराया जाता है। कुछ मामलों में कम्प्यूटरीकृत प्रविष्टियों में जटिल कोडों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ निकालना संभव नहीं होता।

जाली नोट प्रस्तुत करने वालों को रसीद जारी करना

रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि जब किसी बैंक शाखा के काउंटर पर प्रस्तुत किया गया करेंसी नोट जाली पाया जाता है और उस पर जाली नोट की मुहर लगा कर उसे ज़ब्त कर लिया जाता है तो इस तरह के नोट प्रस्तुत करने वालों को पावती रसीद जारी की जाये। रसीद पुस्तिका डुप्लिकेट में सतत क्रम संख्या देते हुए मुद्रित की जाये और प्रत्येक रसीद को काउंटर पर कैशियर के द्वारा और साथ ही साथ प्रस्तुत कर्ता द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि उनकी शाखाओं में बैंकिंग हाल में एक नोटिस प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाये जिसमें यह बताया जाये कि उनके द्वारा प्रस्तुत नकदी में पाये गये जाली नोटों के लिए प्रस्तुतकर्ता को अलग से एक रसीद जारी की जायेगी।

नीति

प्रतिभूतिकरण कंपनियां एवं पुनर्निर्माण कंपनियां

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2003 में प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए अंतिम दिशानिर्देश तथा निदेश जारी किये। ये पंजीकरण, स्वाधिकृत निधि, अनुमत कारोबार, प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्निर्माण का कारोबार करने के लिए परिचालन ढांचे, अधिशेष निधियों के अभिनियोजन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विवेकपूर्ण मानदंडों, प्रकटीकरण अपेक्षाओं आदि से संबंधित थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी की मात्रा का प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अभिगृहीत और प्रतिभूतिकृत आस्तियों के मूल्य से कुछ संबंध हो, यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा समग्र आधार पर अभिगृहीत या अभिगृहीत की जानेवाली कुल वित्तीय आस्तियों के 15 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपये, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं हो, भले ही प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए स्थापित न्यास को उक्त आस्तियां अंतरित की गयी हों या नहीं। साथ ही, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के लिए जारी की गयी प्रतिभूति रसीदें प्रतिदेय होने तक स्वाधिकृत निधि का यह स्तर बनाये रखेगी। प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, इस राशि का उपयोग प्रत्येक योजना के अंतर्गत न्यास द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों के लिए कर सकती है। इससे अधिगृहीत आस्तियों में प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का हिस्सा सुनिश्चित होगा।

प्रतिभूतिकरण कंपनियों एवं पुनर्निर्माण कंपनियों (रिज़र्व बैंक) के दिशानिर्देश तथा निदेशावली, 2003 के पैराग्राफ 9 के प्रावधान, जो निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जो प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की कुल जोखिम भारित आस्तियों के पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगा, बनाये रखने से संबंधित है, लागू बने रहेंगे।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना - वर्ष 2004-2005 के लिए लक्ष्य

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2004-2005 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पूरे देश के लिए स्वरोजगार उद्यमों हेतु 2,89,100 का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र भौतिक आंकड़े भेजते समय वे वर्ष के अंत में मामलों को एक ही जगह न रखें। अतएव, बैंकों को निर्धारित सूची के अनुसार निर्धारित तिमाही प्रगति हेतु आवेदनों के प्रायोजन/ऋणों की स्वीकृति/संवितरण के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रायोजन, लक्ष्यों के 125 प्रतिशत तक सीमित और दिसंबर के अंत तक पूरे होने चाहिए। उसके बाद राज्य/संघ शासित क्षेत्र, बैंकों से प्राप्त अस्वीकृतियों के बदले ही आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि -

- योजना देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलायी जायेगी।
- निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2004-2005 के अंत तक हासिल करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाएं।
- नये आवेदनों पर कार्यवाही करते समय बैंक अपने राज्यों/संघशासित प्रदेशों जिला उद्योग केंद्रों को अपने पास पहले से लंबित आवेदनों को भी ध्यान में रखने के लिए सूचित करें ताकि उन व्यक्तियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता न पड़े।
- योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आवेदकों के लिए 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के आवेदकों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को उचित और पर्याप्त हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।
- राज्यों को चाहिए कि वे योजना के अंतर्गत ऋण वसूली में सुधार लाने हेतु प्रयास जारी रखें।
- वर्ष के अंत में आवेदन जमा होने से बचने के लिए, आवेदनों का प्रायोजन, स्वीकृति और संवितरण की तिमाही प्रगति हेतु प्रयास करने चाहिए। प्रायोजन, लक्ष्य के 125 प्रतिशत तक सीमित और दिसंबर के अंत तक पूरे होने चाहिए। उसके बाद राज्य/संघशासित क्षेत्र बैंकों से प्राप्त अस्वीकृतियों के बदले ही आवेदन प्राप्त कर सकते है।
- कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां इस क्षेत्र में उच्चतर रोजगार संभाव्यता को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन प्रायोजित/स्वीकृत करने के लिए प्रयास करेंगी।

योजना की अन्य शर्तें व नियम समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन वर्ष 2003-2004 की तरह ही रहेंगी।

विदेशी मुद्रा

बाह्य वाणिज्यिक उधार - स्पष्टीकरण

बाह्य वाणिज्यिक उधारों में जनवरी 2004 में हुए संशोधन के कारण रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार कुछ स्पष्टीकरण जारी किया है:

अंतिम उपयोग - संशोधित बाह्य वाणिज्यिक उधारों के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्यशील पूंजी, सामान्य कंपनी प्रयोजन और मौजूदा रुपया ऋणों की चुकौती के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम उपयोग की अनुमति नहीं है। पहली फरवरी 2004 से पहले, पात्र उधारकर्ताओं को स्वचलित रूट के अंतर्गत सामान्य कंपनी प्रयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि जुटाने की अनुमति थी।

स्वचलित रूट के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधारों की राशि - पात्र उधारकर्ता स्वचलित रूट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि जुटा सकता है।

विवरणी प्रस्तुत करना - जो उधारकर्ता पहली फरवरी 2004 से बाह्य वाणिज्यिक उधारों का लाभ ले रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे नामित प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित ईसीबी-2 विवरणी मासिक आधार पर इस तरह प्रेषित करें, जो निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400001 को विवरणी जिस महीने से संबंधित हो, उस महीने की समाप्ति से पहले सात कार्यदिवसों के भीतर प्राप्त हो

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
29 तथा 30 अप्रैल 2004 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

जानी चाहिए। सभी मौजूदा उधारकर्ताओं को भी चाहिए कि जनवरी 2004 के बाद मासिक आधार पर ईसीबी-2 विवरणी प्रस्तुत करें।

दिशानिर्देशों का अनुपालन - जुटाया गया/उपयोग में लाया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के साथ मेल रखता है या नहीं, यह सुनिश्चित करना संबंधित उधारकर्ता की जिम्मेवारी है और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नामित प्राधिकृत व्यापारी को यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जुटाया गया/उपयोग में लाया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रमाणीकरण के समय बाह्य वाणिज्यिक उधारों के दिशानिर्देशों के साथ मेल खाता है।

पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार- जिन उधारकर्त्ताओं ने रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त किये हैं, उनके मामले में प्राधिकृत व्यापारियों को चुकौती अवधि बढ़ाने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है। प्राधिकृत व्यापारी चुकौती अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन दे सकते हैं, बशर्ते विदेशी देनदार से इस पुनर्निर्धारण के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के सहमति पत्र प्राप्त हुआ हो। ऐसा अनुमोदन मौजूदा और संशोधित चुकौती तालिका जिसके साथ लोन की/ऋण पंजीकरण संख्या हो, प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई को अनुमोदन के सात दिन के भीतर और उसके बाद ईसीबी-2 को सूचित किया जाना चाहिए।

भारत में आयातों के लिए कारोबारी ऋण

रिज़र्व बैंक ने हाल ही की गतिविधियों के आलोक में आयातों के लिए ऋणों पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की है। नीचे दर्शाये गये अनुसार संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:

- एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन तक के लिए ऋण अब केवल पूंजीगत माल के आयात के लिए ही अनुमत होंगे।
- विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्था द्वारा तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए मूल परिपक्वता अवधि वाले प्रत्यक्ष आयातों के लिए दिये गये ऋण अब आयातों के लिए कारोबारी ऋण के रूप में जाने जायेंगे, वित्त के स्रोत पर निर्भर करते हुए, इस तरह के कारोबारी ऋण में आपूर्तिकर्ता के ऋण अथवा खरीदार के ऋण शामिल होंगे। तीन वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए खरीदार का ऋण तथा आपूर्तिकर्ता का ऋण बाह्य वाणिज्यिक उधारों की श्रेणी के अन्तर्गत आयेंगे। इनका संचालन जनवरी 2004 में जारी और समय समय पर संशोधित ईसीबी दिशानिर्देशों के अधीन होता है।
- प्राधिकृत व्यापारी अब से (पोतलदान की तारीख से) एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले सभी मदों (निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत अनुमत) आयातों के लिए भारत में आयातों के लिए प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के कारोबारी ऋण अनुमोदित कर सकते हैं।
- पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष तक की अवधि से कम की परिपक्वता अवधि वाले 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन के लिए कारोबारी ऋण मंजूर कर सकते है। प्राधिकृत व्यापारी अनुमत सीमा से परे रोल ओवर/विस्तार की अनुमति नहीं देंगे।
- प्राधिकृत व्यापारी 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन से अधिक के कारोबारी ऋण अनुमोदित न करें।
- प्राधिकृत व्यापारी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कारोबारी ऋण के लिए अपने आयातक ग्राहक की ओर से विदेशी उधारदाता के पक्ष में कोई गारंटी, वचनपत्र अथवा लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी न करें।
- सारी लागतों को शामिल करते हुए अधिकतम सीमा इस प्रकार जारी रहेगी :

परिपक्वता अवधि	6 माह से अधिक के लिबोर के लिए सारी लागतों को शामिल करते हुए अधिकतम सीमा *
एक वर्ष तक	50 आधार बिन्दु
एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम	125 आधार बिन्दु

* ऋण की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बैंचमार्क के लिए

सारी लागतों को शामिल करते हुए अधिकतम सीमा, जिनकी समय समय पर समीक्षा की जायेगी, में व्यवस्था करनेवाले (एरेंजर) का शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, हैंडलिंग/प्रोसेसिंग प्रभार, जेब खर्च और विधिक व्यय, यदि कोई हो, शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधिवाले 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन तक सभी मदों के आयातों (निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत अनुमत) के लिए इस तरह के ऋणों को शामिल करने वाले मौजूदा दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे उनकी सभी शाखाओं द्वारा माह के दौरान मंजूर कारोबारी ऋणों के अनुमोदनों, आहरणों, उपभोगों, तथा चुकौती के ब्यौरे अप्रैल 2004 से शुरू करते हुए टीसी फार्म में समेकित रूप में निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई-400001 (तथा deapdif@rbi.org.in को MS-Excel में ई-मेल के जरिये) इस तरह से भेजें कि वह आगामी माह की 10 तारीख तक मिल जाया करे। प्राधिकृत व्यापारी प्रत्येक कारोबारी ऋण को एक अनन्य/पहचान संख्या दें।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग इकाइयां

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित अपतटीय बैंकिंग इकाइयों को निवासियों के विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति न दी जाये। अत: बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि अपतटीय बैंकिंग इकाइयां निवासियों से जमाराशियां या निवेश न तो स्वीकार करें/मांगें और न ही उनके खाते खोलें।

आपको याद होगा कि नवंबर 2002 में बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ सलाह दी गयी थी कि किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा केवल बाहरी स्रोतों से ही विदेशी मुद्रा निधियों की उगाही की जा सकती है तथा ऐसी निधियों की उगाही उन निवासी स्रोतों से उस सीमा तक की जा सकती है जिस सीमा तक ऐसे निवासियों को वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमों के अंतर्गत विदेशों में विदेशी मुद्रा में निवेश करने/विदेशी मुद्रा खातों का रखरखाव करने की अनुमति प्रदान की गयी हो।

फरवरी 2004 से अधिसूचित *निवासी व्यक्तियों के लिए 25,000 अमेरिकी डॉलर की उदारीकृत विप्रेषण योजना* के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से बैंकों द्वारा इस आशय के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत में स्थापित अप तटीय बैंकिंग इकाइयों को निवासी व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा खाते खोलने और उन खातों को बनाये रखने करने की अनुमति दी जा सकती है।

विदेशी कम्पनियों के भारतीय कर्मचारियों द्वारा विदेशों में निकट संबंधियों के भरण पोषण के लिए प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे विदेशी कम्पनियों द्वारा नियुक्त भारतीय नागरिकों, जो इस तरह की विदेशी कम्पनी के कार्यालय अथवा शाखा अथवा संयुक्त तत्वावधान में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को विदेश में रह रहे अपने निकट संबंधियों के भरण पोषण के लिए उनके निवल वेतन करों की कटौती, भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य कटौतियों के बाद, भेजने की अनुमति दें।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ॲल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**